

फर्द अहकाम
(नियम 26)

लत उपखण्ड अधिकारी, मालाखेड़ा

मुकाम मालाखेड़ा

पप्पूराज

बनाम

शामचन्द

कदम

प्रकरण 212

नं.

2/83

सन् 2021

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म को तामील में जारी हुए।
12	<p>11/12/25 पत्रावली पेश हुई। वकूलाग्र उप० पत्रावली में पूर्व आदेशिका की पालना हेतु दि० 25/11/25 को पेश हो।</p> <p><i>[Signature]</i> उपखण्ड अधिकारी मालाखेड़ा (अलवर)</p>	
25	<p>11/12/25 पत्रावली पेश हुई। वकूलाग्र उप० पत्रावली पूर्व आदेशिका की पालना हेतु दि० 09/12/25 को पेश हो।</p> <p><i>[Signature]</i> उपखण्ड अधिकारी मालाखेड़ा (अलवर)</p> <p>09/12/25 पत्रावली पेश हुई। वकूलाग्र उप० बार का कार्य स्थगन है। पीएसजी अधिकारी अन्य प्रशा० कार्यों में व्यस्त है। दिनांक.....को पेश हो।</p> <p>23/12/25 रीडर</p>	
23	<p>12/25 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी/वादी द्वारा खलवाद Not Proceed करने पर स्वाविज हो चुका है। अतः उद्योग फा जी वादी/वकील वादी के द्वारा Not Proceed करने पर स्वाविज किया जाता है। पत्रावली फेरसल होकर नम्बर के कम हो। बाद में संलग्न खलवाद रहे।</p> <p><i>[Signature]</i> उपखण्ड अधिकारी मालाखेड़ा (अलवर)</p>	<p>किं</p> <p><i>[Fingerprint]</i></p> <p>पप्पूराज नं 2/83 <i>[Signature]</i> उपखण्ड अधिकारी</p>